न्यायालय–जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम हिलसा (नालन्दा)

अग्रिम जमानत आवेदन सं–155/2026

छोटू कुमार बनाम बिहार राज्य

09.03.2026 आवेदक/अभियुक्त **छोटू कुमार पे0 स्व0 मदन गोप,** जो चण्डी थाना काण्ड सं–328/2025 (अन्तर्गत धारा–103(1),3(5) बी0एन0एस0) में अभियुक्त है, को इस मामले में गिरफ्तारी की आशंका है, की ओर से दाखिल जमानत आवेदन को उनके विद्वान अधिवक्ता श्री अनिलदेव कुमार द्वारा प्रचालित किया गया। जमानत आवेदन की सुनवाई हेतु मांगी गई मूल अभिलेख एवं वाद दैनिकी प्राप्त है।

2. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन पर सुनवाई के कम में निवेदन किया गया है कि आवेदक की ओर से पूर्व में अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन सत्र न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि आवेदक निर्दोष है, जिन्हें गलत अभियोग के आधार पर इस वाद में झूठा फंसाया गया है। अभियोजन कथन बिल्कुल गलत, वनावटी और सत्य से परे है। आरोपित आरोप आवेदक के विरूद्ध लागू नहीं होता है। आवेदक देवर है और परिवार के कनीय सदस्य है। इन कथनों के आधार पर आवेदक अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

3. विद्वान प्रभारी अपर लोक अभियोजक द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

4. उभय पक्षों को सुनने के पश्चात् अभिलेख आज आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया। अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि इस वाद में धारा–103(1), 3(5) बी0एन0एस0 के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। आवेदक अभियुक्त प्राथमिकी के नामित अभियुक्त है एवं इनके विरूद्ध प्रत्यक्ष आरोप है कि ये सूचक रामानुग्रह प्रसाद की पुत्री सीमा कुमारी के पति मंचन कुमार के नातेदार रहते हुए अन्य सह अभियुक्तों के साथ मिलकर सीमा कुमारी को प्रताड़ित करते थे एवं तत्पश्चात् अन्य सह अभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 26.06.2025 को सीमा कुमारी की गला दबाकर हत्या कर दिये थे एवं घटनास्थल से भाग गये थे। यह आरोप काफी गंभीर है एवं वाद दैनिकी में आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य है एवं आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध अभी अनुसधांन जारी है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं मामले की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। तद्नुसार प्रस्तुत जमानत आवेदन **अस्वीकृत** किया जाता है।

(लेखापित)

Pandey

(आलोक कुमार पाण्डेय–1)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–I, हिलसा